

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : भुवनेश्वर सिंह चौहान (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 10/2024 GCMS No.2024/22		
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालोतरा।	बनाम	1. सांवलाराम पुत्र कानाराम जाति दर्जी फर्म मैसर्स भाग्यलक्ष्मी किराणा एण्ड जनरल स्टोर सरवडी तहसीलदार कल्याणपुर निवासी अगुणावास सरवडी जिला बालोतरा 2. अजय कुमार अग्रवाल पुत्र महेश कुमार अग्रवाल मैसर्स शिव शक्ति सेल्स, 5 डी 80 न्यु हाउसिंग बोर्ड पाली। निवासी शांती निकेतन, समर्थ नगर पाली

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम की धारा 26 की उप धारा 2(ii) व दण्डनीय धारा 51 उपस्थित

- अभियोजन अधिकारी, बालोतरा प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
- अप्रार्थी (गैर सायल) सांवलाराम पुत्र कानाराम जाति दर्जी फर्म मैसर्स भाग्यलक्ष्मी किराणा एण्ड जनरल स्टोर सरवडी तहसीलदार कल्याणपुर निवासी अगुणावास सरवडी जिला बालोतरा स्वयं उपस्थित।



आदेश


दिनांक:- 15.10.2025

प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बालोतरा द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बालोतरा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी (गैर सायल) सांवलाराम पुत्र कानाराम जाति दर्जी फर्म मैसर्स भाग्यलक्ष्मी किराणा एण्ड जनरल स्टोर सरवडी तहसीलदार कल्याणपुर निवासी अगुणावास सरवडी जिला बालोतरा पर निरीक्षण दिनांक 01.09.2025 के दौरान विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड श्री पार्श्व प्रिमियम देशी घी में मिलावट का शक होने पर नियमानुसार कुल 01 लिटर (एम.एल) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या P-2301 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड श्री पार्श्व प्रिमियम देशी घी का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड श्री पार्श्व प्रिमियम देशी घी का नमूना जांच उपरांत L.S./2426/Act/2023/2541 दिनांक 22.09.2023 में **The sample of Ghee bearing Code No. and Sr. No.P-2301 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Barmer is Contravention of Regulation No. 4 (6) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011.** पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बालोतरा द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

1. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी खाद्य पदार्थ निर्माता स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी को प्रत्येक स्तर पर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से संबंधित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच उपरांत **L.S./2426/ Act / 2023/ 2541** दिनांक 22.09.2023 में **The sample of Ghee bearing Code No. and Sr. No.P-2301 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Barmer is Contravention of Regulation No. 4 (6) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011.** का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए तथा प्रकट किया कि अप्रार्थी की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने में पाई गई मिलावट अज्ञानता के कारण हुई है। भविष्य में ऐसे भूल दोहराई नहीं जायेगी। अप्रार्थी द्वारा उक्त नमूना घी ब्राण्ड श्री पार्श्व प्रिमियम देशी घी में रिपोर्ट में **L.S./2426/ Act / 2023/ 2541** दिनांक 22.09.2023 में **The sample of Ghee bearing Code No. and Sr. No.P-2301 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Barmer is Contravention of Regulation No. 4 (6) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011.** का पाये जाने के लिए प्रथम अपराध मानते हुए नरम रूख अपनाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना घी ब्राण्ड श्री पार्श्व प्रिमियम देशी घी का पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।
2. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 01 पर रुपये 72,000/- अक्षरे बहत्तर हजार रुपये मात्र का जुर्माना निर्धारित किया गया है। तथा अप्रार्थी संख्या 02 पर रुपये 72,000/- अक्षरे बहत्तर हजार रुपये मात्र का जुर्माना निर्धारित किया गया है। संयुक्त या पृथक-पृथक कुल रु. 1,44,000/- अक्षरे एक लाख चौवालीस हजार रुपये मात्र जुर्माना/शास्ति की राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई-चालान - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालोतरा के नाम राजकोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करावें पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
3. आदेश दिनांक 15.10.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




 (भुवनेश्वर सिंह चौहान)
 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
 अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा
 मुख्य निर्णयन अधिकारी एवं
 अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा